

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	7528.85	16.38	7545.23	12968.17	31.83	13000.00	10235.22	2.11	10237.33	14894.08	31.73	14925.81
<b>वसूलियां</b>	-33.59	...	-33.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>7495.26</b>	<b>16.38</b>	<b>7511.64</b>	<b>12968.17</b>	<b>31.83</b>	<b>13000.00</b>	<b>10235.22</b>	<b>2.11</b>	<b>10237.33</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	39.74	1.38	41.12	40.21	1.70	41.91	43.80	1.69	45.49	42.57	1.60	44.17
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	15.79	...	15.79	19.64	0.13	19.77	19.87	0.42	20.29	19.55	0.13	19.68
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>55.53</b>	<b>1.38</b>	<b>56.91</b>	<b>59.85</b>	<b>1.83</b>	<b>61.68</b>	<b>63.67</b>	<b>2.11</b>	<b>65.78</b>	<b>62.12</b>	<b>1.73</b>	<b>63.85</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय जनजाति कल्याण कार्यक्रम</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास	...	...	...	107.52	...	107.52	2.00	...	2.00	...	...	...
<b>एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)</b>												
4. एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)	2447.06	...	2447.06	6399.00	...	6399.00	4748.92	...	4748.92	7088.60	...	7088.60
<b>राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम</b>												
5.01 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता	149.95	...	149.95	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	175.00	...	175.00
5.02 अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि	...	...	...	...	30.00	30.00	...	...	...	...	30.00	30.00
5.03 प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	137.10	...	137.10	152.32	...	152.32	152.32	...	152.32	380.40	...	380.40
5.04 जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम	32.04	...	32.04	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	27.00	...	27.00
5.05 निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा)	8.80	...	8.80	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00
5.06 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	230.00	...	230.00	165.00	...	165.00	240.00	...	240.00	0.02	...	0.02
5.07 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.08 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	9.97	...	9.97	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
जोड़- राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम	574.86	...	574.86	560.32	30.00	590.32	620.32	...	620.32	619.43	30.00	649.43
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>3021.92</b>	<b>...</b>	<b>3021.92</b>	<b>7066.84</b>	<b>30.00</b>	<b>7096.84</b>	<b>5371.24</b>	<b>...</b>	<b>5371.24</b>	<b>7708.03</b>	<b>30.00</b>	<b>7738.03</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
6. राष्ट्रीय/ राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	...	15.00	15.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>अन्य</b>												
7. वास्तविक वसूलियां	-33.59	...	-33.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-33.59</b>	<b>15.00</b>	<b>-18.59</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम</b>												
8. अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)												
8.01 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	308.60	...	308.60	440.36	...	440.36	200.00	...	200.00	313.79	...	313.79
8.02 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	2668.83	...	2668.83	2432.68	...	2432.68	2462.68	...	2462.68	2462.68	...	2462.68
8.03 जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	43.53	...	43.53	111.00	...	111.00	90.00	...	90.00	111.00	...	111.00
8.04 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	...	...	...	20.00	...	20.00	74.55	...	74.55	...	...	...
8.05 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	149.93	...	149.93	1000.00	...	1000.00	127.51	...	127.51	335.97	...	335.97
8.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक लागत	8.41	...	8.41	55.96	...	55.96	25.00	...	25.00	59.01	...	59.01
8.07 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	100.00	...	100.00	240.00	...	240.00	150.00	...	150.00	300.00	...	300.00
8.08 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
जोड़- अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)	3279.30	...	3279.30	4300.00	...	4300.00	3629.74	...	3629.74	5582.45	...	5582.45
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
<b>संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान</b>												
9. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1172.10	...	1172.10	1541.47	...	1541.47	1170.57	...	1170.57	1541.47	...	1541.47
10. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
<b>जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान</b>	<b>1172.10</b>	<b>...</b>	<b>1172.10</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>	<b>1170.57</b>	<b>...</b>	<b>1170.57</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>1172.10</b>	<b>...</b>	<b>1172.10</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>	<b>1170.57</b>	<b>...</b>	<b>1170.57</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>7495.26</b>	<b>16.38</b>	<b>7511.64</b>	<b>12968.17</b>	<b>31.83</b>	<b>13000.00</b>	<b>10235.22</b>	<b>2.11</b>	<b>10237.33</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	3046.27	...	3046.27	6611.69	...	6611.69	5011.21	...	5011.21	7083.52	...	7083.52
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	39.72	...	39.72	40.21	...	40.21	43.80	...	43.80	42.57	...	42.57
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.00	15.00	...	30.00	30.00	...	...	...	...	30.00	30.00
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.38	1.38	...	1.83	1.83	...	2.11	2.11	...	1.73	1.73
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3085.99</b>	<b>16.38</b>	<b>3102.37</b>	<b>6651.90</b>	<b>31.83</b>	<b>6683.73</b>	<b>5055.01</b>	<b>2.11</b>	<b>5057.12</b>	<b>7126.09</b>	<b>31.73</b>	<b>7157.82</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1303.85	...	1303.85	1134.22	...	1134.22	1498.33	...	1498.33
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4394.10	...	4394.10	4993.40	...	4993.40	4021.76	...	4021.76	6204.76	...	6204.76
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	15.17	...	15.17	19.02	...	19.02	24.23	...	24.23	64.90	...	64.90
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>4409.27</b>	<b>...</b>	<b>4409.27</b>	<b>6316.27</b>	<b>...</b>	<b>6316.27</b>	<b>5180.21</b>	<b>...</b>	<b>5180.21</b>	<b>7767.99</b>	<b>...</b>	<b>7767.99</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>7495.26</b>	<b>16.38</b>	<b>7511.64</b>	<b>12968.17</b>	<b>31.83</b>	<b>13000.00</b>	<b>10235.22</b>	<b>2.11</b>	<b>10237.33</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	15.00	...	15.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>15.00</b>	<b>...</b>	<b>15.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना के तहत कारीगरों की पहचान करने और उनके उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने, पूर्वोत्तर उत्पादों की बिक्री को मुख्यधारा में लाने और बढ़ाने तथा पूर्वोत्तर की जनजातियों की आय में वृद्धि व समुदाय के लिए सालभर की आजीविका की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस):** देश में सभी क्षेत्रों और पर्यावासों (हैबीटेड) में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के बराबर महत्व रखते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे न केवल उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में और सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम हो सकें बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति आवादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

5.01. **अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वेच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता:** सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में सहायता के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले आदिवासी क्षेत्रों में अंतराल को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि:** सामाजिक क्षेत्र की पहल के रूप में, अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि की योजना का उद्देश्य भारत में अनुसूचित जनजातियों की आवादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख है। इस योजना का उद्देश्य एसटी उद्यमियों द्वारा नए इंक्यूबेशन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को पथ-प्रदर्शन प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करती है, जो समाज के लिए समृद्धि और मूल्य सृजन करेगा और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देगा। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.03. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना का उद्देश्य जनजातीय आजीविका में परिवर्तनकारी रूपान्तरण लाना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जनजातीय उद्यमों की क्षमता का उपयोग करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि/फूलों की खेती/बागवानी/औषधीय और सुगंधित पौधों/अन्य के आधार पर गैर-एमएफपी कार्यक्रमों को शुरू करके जनजातियों के लिए साल भर आय सृजन करने का अवसर सुनिश्चित करना होगा। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.04. **जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम:** यह योजना उन राज्यों में लागू की गई है जहां अनुसूची V वाले क्षेत्र हैं। जनजातियों से संबंधित मुद्दों के संबंध में जनजातीय उत्सवों के आयोजन और अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया जाता है। देश में जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययन के लिए उनको शामिल करने हेतु उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी गई है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.05. **निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा):** इस मंत्रालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन पर व्यय का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.06. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भारत में उच्च अध्ययन अर्थात् एम.फिल और पीएचडी के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च

शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से चिह्नित श्रेणी के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.07. **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना:** विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए चयनित एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.08. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना का उद्देश्य स्थायी आजीविका के अवसर सृजन करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

8.01. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विकल्पों के कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विकल्पों के कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.03. **जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता:** जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान और मूल्यांकन, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी प्रथाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रलेखन, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, एफआरए, पीईएसए, संवैधानिक प्रावधान संबंधी अधिकारियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से, इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के तहत लाया गया है।

8.04. **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास:** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की पिछड़ी आवादी के समग्र विकास के लिए विभिन्न उपायों का प्रावधान किया गया है। चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए संबंधित राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए उनका समग्र रूप से विकास किया जा सके। वर्ष 2022-2023 से, इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.05. **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई):** जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना पूर्व में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान करती थी। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतराल को भरने के लिए जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों सहित अनुसूचित जनजाति आवादी अधिसूचित की है।

8.07. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना का लक्ष्य पीवीटीजी, परिवारों और निवास से संबंधित सुविधा जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेय जल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और सड़क और दूरसंचार संपर्क प्रदान करते हुए पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

8.08. **धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए):** धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य 63843 गांवों में अवसंरचना की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

9. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान:** इस प्रावधान के तहत, जनजातीय बहुल राज्यों सहित अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले राज्यों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के मुजन हेतु और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बाकी राज्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान:** यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान प्रदान करने के लिए किया गया है।